

राजस्थान सरकार  
राजस्व शूल प्रभाग

प्रमाणिकः - पा. ६४७ राज-८/१५/२०

जयपुर, दिनांकः - २५ फ़ून, १९९९

अधिकृत्यना :-

राजस्थान शूल-राजस्व अधिनियम, १९५६ के राजस्थान अधिनियम संख्या-१५ वर्ष १९५६ की धारा २०४ खेड़ा ३१ द्वारा प्रदत्त शिक्षितों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सतप्तद्वारा राजस्थान प्रशासनिक रोपा के चिन्हालिखित परायीकार्यालय अधिकारियों को जिन्हें कार्यिक विभाग की आवश्यकता पा. १४१० खार्डिक/क-४/१९९७ दिनांक ७-६-९९ द्वारा उनके नाम के सम्मुख छिलो गें सहायक कोवटर सदूच कार्यपालक अणिडेट प्रशिक्षण के पद पर पदस्थापित किया है, को सहायक कोवटर सदूच कार्यपालक अणिडेट उनके क्रेतारीधकार के भीतर नियुक्त करती है :-

प्रा. सं.	नाम अधिकारी	छिला छिलों पदस्थापित किया गया है
	<u>सर्वश्री</u>	
१.	ललित कुमार	कौसा
२.	गोपाल राम बिरदा	अजमेर
३.	शिव प्रसाद रिंड	उदयपुर
४.	कुमू भेधा चौधरी	अजमेर
५.	रामेन्द्र रत्न	सीरोही
६.	अंजय भाद्र	जयपुर
७.	ओमप्रकाश	जालोर
८.	रतन विश्वनोई	जोधपुर
९.	रामेश रिंड	टोक
१०.	डॉ आधा जेन	जयपुर
११.	मुकेश कुमार शर्मा	करौली
१२.	महेन्द्र कुमार शर्मा	सीकर
१३.	कुमू अंशु राणपाल	बीकानेर
१४.	विष्वेक कुमार	बॉसलाडा
१५.	महनाला नेहरा	छुला
१६.	प्रेमरिंद चारण	बीकानेर
१७.	राकेश कुमार	भरतपुर
१८.	भानुनी रिंड वालावत	गंगानगर
१९.	दिलेश कुमार जॉर्जिड	हनुमानगढ़
२०.	तंशीधर कुमावत	पाली
२१.	कुण्ठल किशोर मीणा	कोटा
२२.	कुमू पूनम प्रसाद	जयपुर
२३.	नारायण रिंड चारण	नागार
२४.	श्रवण कुमार छुनकर	हुँगरपुर
२५.	रामनिवास जाट	जलामेर
२६.	परमुराम धानका	झन्फी